अग्रतम
• इंडिया •

महिला स्वयं सहायता समूह

महिला स्वयं सहायता समूह क्या है ?

- महिला स्वयं सहायता समूह (Women Self Help Group) महिलाओं के छोटे–छोटे समूह होते है जिनमें 12 से 15 महिला सदस्य होती हैं।
- समूह के सदस्य एक जैसी परिस्थितियों का सामना करती हैं।
- एक बार समूह के सदस्य हो जाने पर अपनी समस्याएं सुलझाने में ये एक दूसरे की मदद करती हैं।
- स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को नियमित रूप से बचत करने के लिये प्रेरित करती है यथा–रु. 100–200 प्रतिमाह हर सदस्य अपने समूह के खाते में जमा करती है।
- इस प्रकार जमा राशि सामूहिक निधि के रूप में बैंक बचत खाते में स्वयं सहायता समूह के नाम पर जमा करायी जाती है।
- सामूहिक निधि में से सदस्यों को आवश्यक कार्यों के लिए ऋण प्रदान किये जाते हैं, यथा–परिवार में किसी के ईलाज के लिए, मवेशी के ईलाज के लिए, श्राद्ध से जुड़े खर्चों के लिए, आदि।
- समूह की महिलाएं एक दूसरे की समस्याओं को अच्छी तरह समझने में सक्षम होती हैं एवं बेहतर तालमेल के साथ आर्थिक कार्यों में एक–दूसरे की मदद कर सकती हैं।

सदस्यता

- एक परिवार से केवल एक ही महिला को स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनाया जाता है। इस तरह से अधिक से अधिक परिवार स्वयं सहायता समूहों में शामिल हो सकते हैं।
- सामान्यतः महिलाओं के समूह बेहतर कार्य करते देखे गये हैं। वे बचत करने में बेहतर है और आमतौर पर ऋण का समुचित उपयोग सुनिश्ति करते हैं
- सदस्य समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के होने चाहिये। इससे सदस्य आपस में बेझिझक वार्तालाप कर पाते हैं, यदि किसी समूह में दोनों गरीब और समृद्ध सदस्य होंगे तो गरीब सदस्य शायद ही कभी अपनी बात कह पायेंगे। सदस्यों के लक्ष्य/आवश्यकताएं भी अलग–अलग होने के कारण उनमें ताल–मेल ठीक नहीं हो पाएगा।

स्वयं सहायता समूह के प्रमुख कार्य

क. बचत और किफायत

- समूह मिलजुल कर मासिक बचत राशि तय करेगा और सभी सदस्य नियमित रूप से राशि हर महीने जमा करेंगे।
- सभी समूहों का ध्येय पहले बचत फिर ऋण होना चाहिये।
- बचत के माध्यम से ही समूह स्वावलम्बन की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं और कुल बचत से कुछ जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देकर वित्तीय अनुशासन भी सीखते हैं। यह अनुभव बैंक के साथ ऋण व्यवहार करते समय काम आता है।

ख. आंतरिक लेन–देन करना

- प्रारम्भिक बचत से बनी सामूहिक निधि का उपयोग स्वयं सहायता समूह के जरूरतमंद सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- अपने सदस्यों को उधार देने की शर्तें, उद्देश्य, ब्याज दर, अदायगी का समय, चुकौती के तरीके इत्यादि का निर्णय समूह अपनी बैठकों में की गई चर्चा के अनूसार स्वयं ही करते हैं। सामान्यतः, यह देखा गया है कि समूह ऋण पर मासिक ब्याज 2 या 3 रू0 प्रति सैकड़ा रखते हैं।
- स्वंय सहायता समूह को बचत और ऋण से संबंधित सरल और स्पष्ट खाता बहियां रखनी चाहिये।
- स्वयं सहायता समूह आंतरिक ऋण का समुचित रूप से हिसाब–किताब रखते हैं।

ग. समस्याओं पर चर्चा

प्रत्येक बैठक में समूह अपने सदस्यों की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं और उनका निदान करने का प्रयास करते हैं, गरीब व्यक्तियों में अपनी समस्याओं से निपटने के लिये पर्याप्त संसाधनों का अभाव होता है, जब समूह अपने सदस्यों की मदद करने का प्रयास करता है तो उनके लिये कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है और वे उनका हल ढूंढ़ पाने में सफल होते हैं।

घ. प्रशिक्षण एवं आर्थिक उन्नति

समूह के सदस्य अपनी निजी बचत के लेन–देन के अतिरिक्त कुछ कार्य कर अपनी आय बढ़ाना चाहती हैं। अतएव इनके कौशल विकास के लिए इनकी योग्यता एवं इच्छा को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यों, जैसे–पापड़ बनाना, तिलौड़ी/अदौड़ी बनाना, अलंकारी मछली का व्यापार, सिलाई, बुनाई, आभूषण निर्माण इत्यादि, के लिए इन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कौशल विकास के बाद इनके द्वारा जिन सामग्रियों को तैयार किया गया है उसकी बिक्री की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि इनके आय का एक निरंतर स्रोत बना रहे और इनके जीवन स्तर में सुधार हो।

सफल समूह के आवश्यक मापदण्ड

1. नियमित बैठकें– समूह की बैठकें नियमित रूप से माह में कम से कम दो बार होनी चाहिए। हर सदस्य की उपस्थिति इन बैठकों में अनिवार्य है। जो सदस्य इन बैठकों में बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहती हैं उन पर समूह को कार्रवाई कर जुर्माना एवं दण्ड तय करना चाहिए।
2. नियमित बचत एवं आंतरिक लेन–देन– याद रहे कि स्वयं सहायता समूह का गठन एक दूसरे की सहायता करने के लिए किया गया है। इसलिए नियमित बचत करना, आंतरिक लेन–देन करना एवं समय से ऋण एवं ब्याज लौटाना अत्यंत आवश्यक है। जो सदस्य बिना पूर्व सूचना के नियमित बचत या ऋण एवं ब्याज की चुकौती नहीं कर रही हैं, उन पर समूह को कार्रवाई कर जुर्माना एवं दण्ड तय करना चाहिए।
3. नियमित लेखा–बहियों का रख–रखाव– सब प्रकार के लेन–देन के लिये सरल और स्पष्ट लेखा–बहियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

स्वयं सहायता समूह को निम्नलिखित दस्तावेजों का रख–रखाव करना चाहिए :

- कार्यवृत्त पुस्तिका : इस पुस्तिका में बैठको की कार्यवाही, समूह के नियमों, सदस्यों के नामों आदि का रिकार्ड रखा जाता है।

- बचत और ऋण रजिस्टर : इसमें सदस्यों की अलग–अलग और पूरे समूह की एक साथ बचत दिखाई जाती है। सदस्यों को दिये गये ऋणों , चुकौतियों, एकत्रित ब्याज आदि की प्रविष्टियां की जाती हैं।
- साप्ताहिक/अर्धमासिक/मासिक रजिस्टर : इसमे प्राप्तियों और भुगतानों का सारांश होता है जो हर बैठक में पूरा किया जाता है।
- सदस्यों की पासबुक : प्रत्येक सदस्य की अलग–अलग पासबुक होती है जिसमें उसकी बचत एवं लिये गये ऋण की जानकारी एवं बकाया शेष नियमित रूप से लिखी जाती है। इससे नियमित बचत को बढ़ावा मिलता है।